संख्या –965/V-2–2017–55(आ0)/2006 टी0सी0

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।

3– जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष,
समस्त स्थानीय विकास प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

4– सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।

5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 13 सितम्बर, 2017

विषय : भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–2013/V–आ0–2015–55(आ0)/2006टी0सी0 दिनांक 08–12–2015 द्वारा दिशा निर्देश दिये गये।

2– उक्त शासनादेश में भू–उच्चीकरण शुल्क से सम्बन्धित प्रस्तर 5.5(I)(i) में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्न विवरणानुसार इस शर्त के साथ संशोधित प्राविधान एतदद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है कि ग्रीन बिल्डिंग हेत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 की अनुमति प्रदान होने के उपरांत बिल्डर द्वारा कम्प्लीशन सर्टिफिकेटस में ग्रीन बिल्डिंग मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त स्थिति में परचेवल एफ0ए0आर0 का दोगुना शमन शुल्क लिए जाने का प्रावधान होगा।

वर्तमान प्रावधान

क्र0 सं0 5.5 (I) (i)	उपयोग समूह (भूखण्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	मैदानी क्षेत्र	
		अधिकतम भू–आच्छादन %	अनुमन्य एफ0ए0आर0
ब	मल्टीपल इकाईयॉ	50	2.00
स	ग्रुप हाउसिंग	35	2.10
द	EWS Housing	50	2.00
य	Affordable Housing	50	2.40

*SUBJECT TO MAXIMUM FAR 3.0 WHICH SHALL BE IN THE FORM OF PURCHASABLE FAR AS PER THE PROVISION NUMBER 5.5 (V)

संशोधित प्रस्ताव

क्र0 सं0	उपयोग समूह (भूखण्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	मैदानी क्षेत्र			
		अधिकतम भू–आच्छादन %	अनुमन्य एफ0 ए0 आर0	ग्रीन बिल्डिंग हेतु प्राप्त रेटींग के आधार पर देय अतिरिक्त F.A.R	
ब	मल्टीपल इकाईयॉ	50	1.80	0.2*	
स	ग्रुप हाउसिंग	35	1.80	सिल्वर	0.1
				गोल्ड	0.2
				प्लैटिनम	0.3
द	EWS Housing	50	2.00		
य	Affordable Housing	50	2.10	सिल्वर	0.1
				गोल्ड	0.2
				प्लैटिनम	0.3

* वास्तुविद द्वारा ग्रीन बिल्डिंग प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमाण पत्र के आधार पर F.A.R देय होगा जिसकी पुष्टि कम्पलीशन सर्टिफिकेट में की जायेगी।

	* उक्त प्राविधान विभिन्न क्षेत्रों में लिए उपविधि के अधीन निर्धारित भवन की ऊंचाई की सीमान्तर्गत होगा। * ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग का आधार प्रमाणीकृत संख्याओं के द्वारा निर्धारित रेटिंग के अनुसार होगा।

3– उक्त शासनादेश I दिनांक 08–12–2016 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4– अतः कृपया उपरोक्तानुसार संशोधन को यथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव